Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2018 SISRRJ | Volume 1 | Issue 1 | ISSN : 2581- 6306

आधुनिक बिहार के आर्थिक विकास में डॉ0 अनुग्रह नारायण सिंह का योगदान

डॉ0 अजीत सिंह
इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना

शोध सार

1912 में बिहार प्रांत के गठन के साथ ही बिहार की अपनी स्वतंत्र पहचान बनी, क्योंकि इसके पूर्व यह बंगाल प्रांत का ही एक भाग था। 1936 में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया, लेकिन अभी भी भारत पर ब्रिटिश शासन कायम था। इस क्रम में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुए तो बिहार में श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली कांग्रेसी सरकार बनी। बिहार के इस प्रथम मंत्रिमंडल में अनुग्रह नारायण सिंह वित्त तथा स्थानीय शासन के मंत्री बनाये गए। बिहार के वित्तमंत्री की हैसियत से उन्होंने जुलाई 1937 से अक्तूबर 1939 और पुनः 1946 से 1957 तक कार्य किया। वित्त विभाग किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ होती है और तत्त्कालीन परिस्थितियों में उनका यह उत्तरदायित्त्व अत्यन्त चुनौतिपूर्ण था। अनुग्रह बाबू ने अपने दायित्त्वों का पूरी निष्ठा और बुद्धिमता से निर्वाह किया। बिहार के निर्माण के उस प्रारम्भिक दौर में स्वाभाविक रूप से उनके सामने गंभीर चुनौतियाँ थीं, जिनको लगातार बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने और भी गंभीर बना दिया था, लेकिन अनुग्रह बाबू अनुभव के धनी होने के साथ–साथ परिश्रमी और समस्याओं से जुझने वाले नेता थे। प्रशासकीय निर्णय लेने में उन्हें व्यापक जन–सम्पर्क तथा किसानों की समस्याओं की वास्तविक जानकारी का अपेक्षित लाभ भी मिला। फलस्वरूप श्रमिकों के हितों की रक्षा तथा किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार को उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता दी और राज्यहित में अपने विरोधियों को भी अपने साथ रखने से गुरेज नहीं किया। गरीबी मिटाने के लिए उन्होंने लोगों को अधिक से अधिक उत्पादन करने की सलाह दी और बढ़ती जनसंख्या को गरीबी का एक प्रमुख कारण बताया। बचत के महत्त्व को स्वीकार करते हुए अनुग्रह बाबू ने कहा कि जनता की छोटी–छोटी बचतों से राष्ट्र–निर्माण के कई कार्य पूर्ण हो सकते हैं। अतः उन्होंने धन–बचत को आंदोलन के रूप में चलाने की बात लोगों को बताई।

शब्द संकेतः

द्वैध शासन, औपनिवेशिक शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, समाजवाद, साम्राज्यवाद, स्थायी बंदोबस्त, बकाश्त भूमि, बजट–प्राक्कलन, आंदोलन, सत्याग्रह

परिचय :

आधुनिक बिहार के निर्माताओं में डॉ0 अनुग्रह नारायण सिंह का अग्रणी स्थान है। वे बिहार प्रांत में हुए राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्षस्थ नेताओं में से एक थे। उन्होंने महात्मा गाँधी एवं डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद के साथ चंपारण सत्याग्रह में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री थे। आधुनिक बिहार की अर्थव्यवस्था के

सर्वांगीण विकास की श्रृंखला के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के क्रम में अनुग्रह बाबू के विलक्षण योगदानों के महत्त्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 20 वीं शताब्दी के शुरूआती दशकों से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनुग्रह बाबू ने अपने त्याग, समर्पण, नेतृत्व एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण जनमानस में जो स्थान प्राप्त किया, वह धरोहर के रूप में जीवन भर उनका मजबूत संबल बना रहा।

विषय–वस्तु :

भारत शासन अधिनियम 1935 ई0 के अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार भारत के प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर उत्तरदायी शासन के लिए प्रतिबद्ध थी। अतः प्रांतों में चुनाव की घोषणा कर दी गई। यद्यपि 1935 का अधिनियम कांग्रेस के सिद्धान्तों के अनुरूप तो नहीं था यथापि यह उत्तरदायी शासन की ओर बढ़ता हुआ कदम तो था ही। अतः कांग्रेस ने आनेवाले चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया। चुनाव–घोषणा के बाद अनुग्रह बाबू का ज्यादा समय चुनाव की तैयारियों में बीतने लगा। पैसे का जुगाड़ करना अनुग्रह बाबू के जिम्मे था और उम्मीदवारों के चुनाव में भी उनकी सक्रिय सहभागिता थी।[1] सरदार पटेल के आदेश पर संकोच के बावजूद उन्होंने चुनाव में डालमिया से चंदा लिया और जब चंदे की रकम कम पड़ी तो अपनी जमानत पर कर्ज भी लिया।

जनवरी 1937 में बिहार के प्रांतीय चुनाव सम्पन्न हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी की भारी विजय हुई। श्रीकृष्ण सिंह सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए। हालांकि गाँधीजी का अपना विचार था कि 'नेता' पद का दायित्त्व अनुग्रह बाबू को ही सौंपा जाए। कृष्ण बल्लभ सहाय और प्रो0 अब्दुल बारी भी अनुग्रह बाबू को ही नेता बनाने के पक्षधर थे, लेकिन अनुग्रह बाबू ने डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद से अपनी राय पहले ही जाहिर कर दी थी कि वे नेता (मुख्यमंत्री) बनना नहीं चाहते। इस बात का जिक्र राजेन्द्र बाबू ने अपनी 'आत्मकथा' में भी किया है, ''मैंने विचार कर अपनी राय निर्धारित कर ली थी कि श्रीकृष्ण सिंह ही पार्टी के नेता बनाये जाएं। यह निश्चय करने में मुझे इस बात से काफी मदद मिली थी कि दूसरे व्यक्ति श्री अनुग्रह नारायण सिंह, जिनके संबंध में कुछ लोग बातें कर रहे थे, मुझसे निजी तौर पर कह चुके थे कि वे इस पद को नहीं चाहते और जो लोग उनके बारे में औरों से कह रहे हैं, वे उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं..... जहाँ तक मैं समझ सकता और देख सकता था, जिलों के लोग श्रीकृष्ण बाबू और अनुग्रह बाबू में से ही एक को नेता बनाना चाहते थे, पर अनुग्रह बाबू इस होड़ में पड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए यदि मैंने कुछ किया भी हो तो उसका असर इतना ही मात्र था कि मैंने नाम प्रस्तावित नहीं होने दिए। अंत में एक ही नाम आया और वह श्रीकृष्ण बाबू का, जिसको लोगों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया।[2] सच तो यह है कि देशहित और राज्यहित के लिए अनुग्रह बाबू मुख्यमंत्री पद को मामूली समझते थे और मामूली लाभ के लिए वे पार्टी और मित्रों में फूट के विरूद्ध थे। इस बात का पता इससे भी चलता है कि पार्टी–लीडर के लिए श्री बाबू के नाम का प्रस्ताव भी अनुग्रह बाबू ने स्वयं रखा।

इधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक दिल्ली में 18 मार्च 1937 ई0 को हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जब तक गवर्नर यह आश्वासन नहीं देंगे कि वे मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस सदस्य मंत्रिमंडल में भाग नहीं ले सकते।[3] यही कारण था कि बिहार के गवर्नर एम0जी0हैलेट के द्वारा मंत्रिमंडल गठन हेतु आमंत्रित करने के बावजूद भी कांग्रेस विधायक दल के नेता श्रीकृष्ण सिंह ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी।

फलतः 1 अप्रैल 1937 ई0 को मुसलमानों की इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मुहम्मद युनुस ने अपने सहयोगियों के साथ अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसका बिहार के कांग्रेसी नेताओं ने जबर्दस्त विरोध किया। इसी दौरान 21 जून 1937 को वायसराय ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की शंका निर्मूल है कि गवर्नर मंत्रिमंडल की नीति तथा दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप करेंगे। वायसराय की स्पष्टीकरण के बाद 7 जुलाई 1937 की वर्धा–कांग्रेस कार्यकारिणी ने बहुमत प्राप्त प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के गठन का प्रस्ताव पास कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री मुहम्मद युनुस ने कांग्रेस के इस निर्णय का स्वागत करते हुए अंतरिम मंत्रिमंडल से त्याग–पत्र दे दिया।[4]

20 जुलाई 1937 ई0 को जब कांग्रेस विधायक दल के नेता श्रीकृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का गठन किया तब बिहार के इस प्रथम मंत्रिमंडल में अनुग्रह नारायण सिंह वित्त तथा स्थानीय शासन के मंत्री बने।[5] कांग्रेस–मंत्रिमंडल बनने के साथ ही जनता की उम्मीदें बढ़ गई। जनता यह आन्दोलन करने लगी कि किसानों को राहत मिले, कर्ज घटाया जाए, मद्यपान निषेध हो, जमींदारों की जमींदारी पर पाबंदी लगाई जाए, गैर–कानूनी वसूलियाँ बंद की जाएं, जंगल–संबंधी शिकायतें दूर हों, शिक्षा का पुनर्संगठन हो, राष्ट्रीय संस्कृति का पुनरोत्थान हो, ग्राम–पंचायतें फिर से कायम हों, न्याय सस्ता और पारदर्शी हो, हरिजनों और गिरिजनों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा सुधारी जाए। अतः कांग्रेस ने अपनी सरकारों को अक्तूबर 1937 ई0 में आदेश दिया कि वे चुनाव घोषणा–पत्र के अनुसार कार्य आरम्भ करें।[6]

बिहार के वित्तमंत्री की हैसियत से अनुग्रह नारायण सिंह ने जुलाई 1937 से अक्तूबर 1939 और पुनः 1946 से 1957 तक कार्य किया। वित्त विभाग किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ होती है और तत्कालीन परिस्थितियों में उनका यह उत्तरदायित्त्व अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। 1912 के पहले के कई शताब्दियों से एक प्रांत के रूप में बिहार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। अंग्रेजी शासन के अधीन बंगाल से अलग हटकर एक प्रांत के रूप में सृजन के बावजूद बिहार के वित्तीय प्रबंधन की बागडोर अंग्रेजी सरकार के ही हाथों में रही। द्वैध शासन के अंतर्गत भी वित्त विभाग सीधे अंग्रेजी शासन के नियंत्रण में था। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस के प्रथम मंत्रिमंडल के सामने बिहार की दयनीय आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की जिम्मेवारी अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण थी, जिसे अनुग्रह बाबू ने सहर्ष स्वीकार किया।

वित्तमंत्री के रूप में वे यह मानते थे कि बिहार की असंतोषप्रद वित्तीय स्थिति प्रकृति की देन नहीं थी। चूँकि यहाँ की कृषि की जमीन न केवल खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त थी बल्कि फसलों की समुचित सिंचाई हेतु भी यहाँ पर्याप्त जल–संसाधन उपलब्ध थे। लेकिन, पैसे के अभाव में सरकार चाह कर भी बाढ़ पर नियंत्रण कर पाने में असमर्थ थी, जिसके कारण हमेशा बड़े पैमाने पर फसलों की बर्बादी होती थी। इस संदर्भ में बाढ़ की समस्याओं पर विचार के लिए 1937 में पटना में बाढ़ सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन गवर्नर ने किया और सभापतित्त्व अनुग्रह बाबू ने किया।[7] कोसी नदी की बाढ़ पर नियंत्रण के लिए वे 10 करोड़ रूपये खर्च करने को तैयार भी थे, लेकिन नेपाल के सहयोग के बिना कोई खास प्रगति संभव नहीं थी। हालांकि उनकी सकारात्मक सोच का ही परिणाम था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बाढ़–नियंत्रण एवं सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए अनेक वृहत् नदी घाटी योजनाओं का कार्यान्वयन हो पाया।

एक वित्तमंत्री के रूप में उनकी यह मान्यता थी कि बिहार की आर्थिक तरक्की विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक संसाधनों के विकास पर ही निर्भर करती है। चाहे कृषि के लिए सिंचाई के प्रबंधन की जरूरत हो अथवा सड़कों, पुलों के

निर्माण की बात, पैसे की उपलब्धता पर ही इन संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता था। उल्लेखनीय है कि स्वयं एक बुद्धिजीवी होने के साथ–साथ अनुग्रह बाबू ने कई अवसरों पर विदेशों का भी भ्रमण किया था और अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड एवं स्वीट्जरलैंड जैसे देशों के आर्थिक जीवन की संतोषप्रद स्थिति का प्रत्यक्षदर्शी के रूप में अवलोकन भी किया था। लेकिन, धन के अभाव में बिहार सरकार चाहने के बावजूद संसाधनों को विकसित करने की दिशा में बहुत कुछ करने में कठिनाई का सामना कर रही थी।

अपने एक बजट भाषण में बिहार के वित्तीय संकट का विश्लेषण करते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि इसके पीछे एक लम्बा इतिहास है, जो अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन के साथ शुरू हुआ। इस संदर्भ में उन्होंने 1793 में कार्नवालिस द्वारा शुरू की गई स्थायी–बंदोबस्त व्यवस्था की चर्चा की और कहा कि इस व्यवस्था के कारण सरकार को मिलने वाली जमीन के लगान में क्रमिक वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था। 23 अगस्त 1937 को अगले वित्तीय वर्ष के बजट–प्राक्कलन को विधानसभा में पेश करते हुए उन्होंने सर्वप्रथम 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की चर्चा की और यह स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतवासी इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं और पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। वे भारतीयों द्वारा बनाया भारत का अलग संविधान चाहते हैं, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था पर अभी भी पूरी तरह साम्राज्यवादी प्रभाव मौजूद है। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कई प्रकार की सीमाओं की उन्होंने तीव्र आलोचना करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि इनके कारण प्रांत में उत्तरदायी स्वशासन चलाना अत्यन्त कठिन है।[8]

ग्रामीण कृषकों की दयनीय स्थिति की चर्चा करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि उनका जीवन कठिनाइयों से भरा है, किन्तु उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस दिशा में प्रभावी प्रयास पूर्ण आजादी मिलने के बाद ही संभव हो सकेगा। इस संबंध में तत्काल प्रस्तावित 'बिहार काश्तकारी संशोधन बिल' के अन्तर्गत किसानों–रैयतों को विभिन्न प्रकार के राहत देने की योजनाओं का उन्होंने उल्लेख किया।[9] 1938 में बिहार विधानसभा द्वारा 'बिहार काश्तकारी संशोधन बिल' के अलावा 'बिहार मनीलेण्डर्स एमेण्डमेंट एण्ड एप्लिकेशन टू पेंडिंग सूट्स एण्ड प्रोसिडिंग बिल' पारित कराने में वित्तमंत्री के रूप में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। इससे महाजनों के शोषण पर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित हो सका। 'चम्पारण कृषि संशोधन कानून' और 'छोटानागपुर कृषि संशोधन कानून' पारित कराकर भी अनुग्रह बाबू ने इन क्षेत्रों के पीड़ित रैयतों को काफी राहत दिलाई।

1937–38 के बजट से वित्तमंत्री के रूप में उनकी दूरदर्शिता साफ झलकती है, क्योंकि वे कृषि के विकास के साथ–साथ बड़े एवं लघु उद्योगों पर भी जोर देते हैं। अपने बजट भाषण में वे कहते हैं, ''Bihar is extremely backward in the matter of industrial enterprise and steps must be taken to aid the growth of industries which may absorb many of our agricultural products. While it may be difficult to establish large scale industries, suitable cottage industries may well be started to replace many of the goods which the province has at present to indent from outside. These, I believe would be of greater benefit to the agricultural classes and will give them employment in their leisure hours and add appreciable to their income. Such development measures are under contemplation. Agricultural prosperity is bound up with

a certain degree of industrial enterprise and one of the most important tasks before us is how to establish the balance between the two.''[10]

शराबखोरी बंद करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दुहराते हुए अनुग्रह बाबू अपने बजट भाषण में कहते हैं कि केवल दो मद में ही अधिक धन की उगाही की जा सकती है– स्टॉम्प ड्यूटी एवं आबकारी कर बढ़ाकर। पहले इन दोनों मदों की आमदनी सरकार के लिए बहुत ही उपयोगी थी, लेकिन बदली हुई परिस्थिति, जिसमें भारतीयों द्वारा सरकार चलाया जा रहा है, इन मदों की आमदनी में परिवर्तन लाने की प्रतिबद्धता दुहराते हुए राज्य की आर्थिक स्थिति को भी शोचनीय बताते हुए आवश्यक बताते हैं। वे लिखते हैं, " Intoxication has to be discouraged and, if possible, wiped out. The litigious spirit has also to be curbed."[11]

कांग्रेस के प्रथम मंत्रिमंडल का काल 31 अक्तूबर 1939 को समाप्त हो गया, जब द्वितीय विश्वयुद्ध में शामिल किये जाने के निर्णय से भारतीयों की अवहेलना और पूर्ण स्वतंत्रता की माँग पर मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। अगला चुनाव 1946 में हुआ, जिसके उपरान्त बिहार में पुनः कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्रीकृष्ण सिंह पुनः मुख्यमंत्री बने और अनुग्रह बाबू ने वित्तमंत्री का दायित्त्व संभाला। इस हैसियत से वित्तमंत्री ने 1946–47 के बजट को पेश किया, जिसमें आमदनी 1362 लाख रूपया और खर्च 1363 लाख रूपया आँका गया। यह बजट द्वितीय विश्वयुद्ध जनित कठिनाइयों का सामना करने के लिए पेश की गई थी, जिसमें बढ़ती महंगाई, मुनाफाखोरी एवं घूसखोरी जैसी समस्याओं का समाधान ढूँढ़ना था। इस बजट में उन्होंने बाढ़, रेल तथा डाक–हड़ताल जैसी समस्याओं का बिहार पर पड़ते प्रभाव का जिक्र किया।[12] कुल मिलाकर यह बजट जन कल्याणकारी था। 24 फरवरी 1947 को वित्तमंत्री के रूप में अनुग्रह बाबू ने वित्तीय वर्ष 1947–48 का बजट विधानसभा में पेश किया। पहले की तुलना में इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिंचाई, सामान्य प्रशासन, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, शिक्षा, उद्योग, जन स्वास्थ्य आदि में अधिक अनुमानित व्यय का ब्यौरा रखा।[13] 1948–49 ई0 के बजट में पहले पहल अबरख और कोयला पर बिक्री कर लगाया गया, जिसका काफी विरोध हुआ। बिहार के आय को बढ़ाने के लिए वे काफी प्रयत्नशील थे। वे 1940 ई0 के बिहार एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में संशोधन कर कृषि कर की निम्नतम सीमा को घटाना चाहते थे और इसके लिए संशोधन भी लाने को तैयार थे।[14] इसी तरह वे बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट 1947 की कुछ माँगों को प्रांत की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए बदलना चाहते थे।[15] आय के स्त्रोत को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा संचालित कुछ उद्यम भी अनुग्रह बाबू ने शुरू की। इस तरह वे पब्लिक सेक्टर की ओर झुके।

आमतौर पर अनुग्रह बाबू को समाजवाद के खिलाफ समझा जाता था, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से जमींदारों को जमींदारी उन्मूलन के बाद क्षतिपूर्ति दी गई थी। लेकिन, तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में राज्य द्वारा संपोषित उद्योग–धंधों का खुलना समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देना ही तो था। जे0 सी0 झा के शब्दों में, ''अनुग्रह बाबू का 1950–51 का बजट उच्च कोटि का था।'' इस बजट के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम–पंचायत के साथ–साथ आर्थिक स्थिति को सुधारने की दृष्टि से लघु एवं कुटीर उद्योग तथा कृषि की ओर खास ध्यान दिया गया। बिहार लैंड रिफार्म्स ऐक्ट, 1950 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 (4) और 255 के अधीन 11 सितम्बर 1950 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 25 नवम्बर 1950 से इसे लागू कर दिया गया।[16] आरम्भ में

इसके तहत केवल दरभंगा और रामगढ़ की जमींदारियाँ राज्य सरकार ने अपने अधीन कर ली, लेकिन यह मामला पटना हाईकोर्ट में चला गया और आगे यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर फैसले के इंतजार में था। बाबू साहब (अनुग्रह बाबू) ने भूदान योजना के अन्तर्गत अपने परिवार के सदस्यों की सहमति से 100 बीघा बकाश्त भूमि, 100 पेड़ और जमींदारी अनुदान में मिले अपने हिस्से के कुल रकम का 1/6 हिस्सा दान देने की घोषणा की,[17] जो गरीबों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है।

वित्तमंत्री के रूप में उन्होंने हमेशा इस तथ्य को दुहराया कि बिहार का वित्तीय संकट तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक कि केन्द्र सरकार इस प्रांत को यहाँ के खनिज से होने वाले आय–कर का समुचित हिस्सा देने के साथ–साथ इस सूबे की कमजोर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष अनुदान राशि मुहैया नहीं करा सके।[18] उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए खर्च किये जाने की चर्चा करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 1952–53 के लिए अनुमानित व्यय 55.7 करोड़ है, जिसमें 15.1 करोड़ केन्द्र सरकार को देना है।

1954–55 में कृषि क्षेत्र में किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए उनके लिए ऋण देने की योजना बनायी गई। 1955–56 का बजट पेश करते हुए उन्होंने पुनः प्रांत में बाढ़ और सूखा से उत्पन्न व्यापक क्षति की चर्चा की। विधानसभा में कई बार विपक्ष के सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने इस बात को दुहराया था कि विदेश के कई संपन्न देशों की तरह भारत की आर्थिक प्रगति में भी काफी समय लगेगा और इसके लिए राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर हर भारतवासी को सहयोग करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति–जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 1956–57 के बजट में 1 करोड़ 60 लाख रूपये की व्यवस्था की गई। 1957–58 का बजट पेश करते हुए अनुग्रह बाबू ने बिहार में शिक्षा की स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की, क्योंकि उस समय बिहार की साक्षरता की दर 12% थी जबकि भारत की साक्षरता दर 16.6% थी। 1957–58 के बजट में ही पटना विश्वविद्यालय को पटना स्थित दरभंगा हाउस खरीदने के लिए 6 लाख रूपये उपलब्ध कराये गए। इसी तरह स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गैर–सरकारी कन्या उच्च विद्यालयों को 4 लाख रूपये अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने की बात इस बजट में कही गई। इस तरह अपनी मृत्यु के दो माह पूर्व के अपने बजट भाषण में भी उन्होंने एक संतुलित बजट पेश करने की कोशिश की, जिसके अन्तर्गत आर्थिक स्थिति में सुधार को ध्यान में रखते हुए किसानों और कृषि के विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी गई।

निष्कर्ष :

निस्संदेह अनुग्रह बाबू आधुनिक बिहार के सफलतम वित्तमंत्री थे, जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व से पश्चात् तक अपनी वित्तीय कुशलता से प्रांत के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के समाधान के प्रति वे पूरी तरह सजग थे। यही वजह है कि कृषि– विकास और औद्योगीकरण के माध्यम से राज्य के किसानों–मजदूरों की दरिद्रता को दूर करने का उन्होंने हर सम्भव प्रयास किया। इस क्रम में जमींदारी उन्मूलन से लेकर प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन तक उन्होंने अपने उत्तरदायित्त्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। आज बिहार उनके द्वारा निर्धारित वित्तीय मानदंडों पर ही विकास की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है।

संदर्भ सूची :

1. झा, जे0सी0, बिहार विभूति डॉ0 अनुग्रह नारायण सिंह : एक जीवनी, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 1988, पृ0 50
2. प्रसाद, राजेन्द्र, आत्मकथा, नेशनल बुक ट्रस्ट, दिल्ली, 2009, पृ0 658–659
3. द इंडियन नेशन, पटना, 9 जुलाई 1937.
4. वही, 9 जुलाई 1937
5. बिहार सरकार, नियुक्ति विभाग, फाईल संख्या ई0सी0– 8/1937, बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना।
6. उमाशंकर, बाबू साहब की देन, पटना, 1956, पृ0 98
7. सिंह, अनुग्रह नारायण, मेरे संस्मरण, बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना, 2012, पृ0 237
8. बिहार लेजिस्लेटिव एसेम्बली डिबेट्स, 23 अगस्त 1937, पृ0 73–74
9. वही, पृ0 75
10. बिहार लेजिस्लेटिव एसेम्बली डिबेट्स, 23 अगस्त, 1937, पृ0 76
11. वही, पृ0 80
12. झा, जे0सी0, पूर्वोक्त, पृ0 82
13. बिहार लेजिस्लेटिव एसेम्बली डिबेट्स, 24 फरवरी, 1947, पृ0 792–794
14. झा, जे0सी0, पूर्वोक्त, पृ0 87
15. वही ।
16. विकासोन्मुख बिहार, बजट के आईने में (1950–82), संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित, पटना, 1982, पृ0 23
17. द सर्चलाइट, पटना, 14 अक्तूबर, 1952
18. बिहार लेजिस्लेटिव एसेम्बली डिबेट्स, 14 मार्च, 1952, पृ0 3